संख्या:-07/2021/1887/ छप्पन-2020-64/2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2021

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई तथा फ्लाईट सेफ्टी इकाई हेतु आवश्यक पदों के सृजन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 262/ना0उ0नि0/आप्स-4/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा निर्गत किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट महानुभावों की हवाई यात्राओं को सफलता पूर्वक व सुरक्षात्मक ढ़ग से संचालित करने हेतु नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई तथा फ्लाईट सेफ्टी इकाई हेतु आवश्यक पदों का सृजन / पुर्नगठन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई तथा फ्लाईट सेफ्टी इकाई हेतु निम्नांकित पदों के सृजन / पुर्नगठित किए जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र सं	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	अर्हता / अनुभव	मासिक पारिश्रमिक
परिचालन इकाई					
1	प्रबन्धक (परिचालन)	01 पद	नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत पायलटों में से शासन द्वारा योग्य कार्मिक की तैनाती करके अथवा संविदा के	डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित इक्जामिनर / इंस्ट्रक्टर / चेक पायलट की रेटिंग अथवा सेना द्वारा निर्गत क्वालीफाईड फ्लाईट इंस्ट्रक्टर रेटिंग / चेक पायलट रेटिंग अथवा प्रबन्धक (परिचालन) के	रू0 2.50 लाख से रू0 3.50 लाख तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			आधार पर।	रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	
2.	फार्मासिस्ट	01पद	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सेवा स्थान्तरण / प्रतिनियुक्ति के आधार पर	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित।	नियमित वेतनमान
3.	पायलट (रोटर विंग)	01 पद (सृजन उपरान्त कुल 09 पद निर्धारित)	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार।	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली एवं शासनादेश में किए गए प्राविधानानुसार।	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली एवं शासनादेश में किए गए प्राविधानानुसार
4.	पायलट (फिक्स्ड विंग)	पायलट (फिक्स्ड विंग) के पदों को पुनर्निधारित (पूर्व निर्धारित 10 पद के सापेक्ष 01 पद समाप्त) करते हुए कुल 09 पद निर्धारित किए जाते हैं जिनमें से 03 पद को-पायलट हेतु प्राविधानित है।			
5.	फ्लाईट डिस्पैचर	01 पद	संविदा के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से।	डी0जी0सी0ए0 से फ्लाईट डिस्पैचर कार्य हेतु अनुमोदित होना चाहिए एवं न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 50,000/- से 80,000/- तक
6.	कार्यालय अधीक्षक	01 पद	प्रोन्नति के द्वारा	लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार	नियमित वेतनमान
7.	लिपिक	03 पद (01 पद फिक्स्ड विंग, 01 पद रोटर विंग एवं 01 पद डी0जी0	सीधी भर्ती	लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार	नियमित वेतनमान

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सी0ए0 कार्य के लिए)			
फ्लाईट सेफ्टी इकाई का गठन					
8.	चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी	01 पद	निदेशालय में कार्यरत पायलटों को अतिरिक्त प्रभार अथवा चयन समिति के माध्यम से संविदा पर	अभ्यर्थी के पास कामर्शियल पायलट लाईसेंस (वायुयान) अथवा कामर्शियल पायलट लाईसेंस (हेलीकाप्टर) अथवा एयरलाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (वायुयान) अथवा एयरलाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (हेलीकाप्टर) होना आवश्यक है। अनुभव- कुल उड़ान घण्टे 4000 तथा पायलट इन-कमाण्ड के रूप में 2000 घण्टें तथा विगत 05 वर्षों में दुर्घटना रहित रिकार्ड। अधिमानी अर्हता- डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित इक्जामिनर/ इंस्ट्रक्टर/चेक पायलट की रेटिंग अथवा सेना द्वारा निर्गत क्वालीफाईड फ्लाईट इंस्ट्रक्टर रेटिंग/ चेक पायलट रेटिंग अथवा चीफ आफ फ्लाईट सेफ्टी के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आयुसीमा- 45 से 60 वर्ष।	रू0 2.50 लाख से रू0 3.50 लाख तक।
9.	लिपिक	01 पद	सीधी भर्ती	लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार	नियमित वेतनमान

3- उपर्युक्त सृजित होने वाले पदों पर होने वाला व्यय विभागीय लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-59/दस-2021 दिनांक 14 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
सचिव।

संख्या-07/2021/1887(1)/छप्पन-2020-64/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा),उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।